राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि / नरेगा / संविदा / 2010–11 जयपुर, दिनांक 4 MAR 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– दिनांक 28.02.2011 के पश्चात् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संविदा पर नियोजित कार्मिकों के लिये संविदा अनुबंध के प्रपत्र का प्रारूप भिजवाने के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.02.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के बिन्दु संख्या 4 (1) "ऐसे ग्राम रोजगार सहायक जिनके साथ प्रथम बार संविदा अनुबंध निष्पादित किये जाने के एक वर्ष पश्चात् उन्होंने लगातार दूसरे वर्ष भी अपनी संविदा सेवाएं दी है एवं उनके विरूद्ध उनकी संविदा सेवा असंतोषजनक होने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है तो उनको द्वितीय वर्ष में संविदा सेवा प्रारम्भ करने के प्रथम महिने से ही पूर्व वर्ष के लिये नियत की गई मासिक अनुबंध राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक संविदा वृद्धि यदि अभी तक नहीं दी गई है तो इस अन्तर राशि का भुगतान दिनांक 30.04.2011 से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें" उल्लेखित किया गया है।

इस संबंध में बिन्दु संख्या 4(1) "ऐसे ग्राम रोजगार सहायक" के स्थान पर **"सभी संविदा कार्मिक"** पढा जावे।

भवदीय

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि मुख्य / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस प्रथम एवं द्वितीय) जिला परिषद समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस